

-:आवश्यक सूचना:-

26/07/2018
दिनांक:-26/07/2018

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी लखनऊ के द्वारा भेजी गयी संलग्न सूची के अनुसार विश्वविद्यालय के वर्ष 2017-18 2017-18 में अल्पसंख्यक के कुछ छात्र/छात्राओं ने शुल्क प्रतिपूर्ति /मेरिट कम मीन्स दो योजनाओ के अन्तर्गत दो बार छात्रवृत्ति प्राप्त कर ली है जो कि विभाग के निर्देशानुसार गलत व नियम के विरुद्ध है। अतः ऐसे छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जो दोहरा लाभ प्राप्त कर चुके है वह छात्रवृत्ति अनुभाग (एकेडमिक सेक्शन) में आकर सम्पर्क करे। अन्यथा दोहरा छात्रवृत्ति लाभ प्राप्त करने की दशा में 18% 9% ब्याज की दर से पूर्ण धनराशि वसूल की जायेगी एवं परीक्षा का रिजल्ट रोक दिया जायेगा।

2

NK Kati
26/7/18

प्रो० एम० ए० खालिद
डी० एस० डब्लू
इन्टिग्रल युनिवर्सिटी